

अन्तिम डिक्री
(आर्डर 20, रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)
(Civil Procedure Code Appendix D-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)
व इजलास परसाराम आर.ए.एस.

1. श्रीमति सुप्यार कवर पत्नि स्व० श्री नारायण सिंह उम्र 62 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम भुवाडा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर (राज०) हाल निवासी C/O श्रीमति प्रतिभा राठौड, मकान नम्बर बी - 69, श्री रामनगर, खिरवी फाटक रोड़ झोटवाडा, जयपुर (राज०)

वादी

बनाम

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री कर्णसिंह उम्र बालिग जाति राजपूत निवासी ग्राम भुवाडा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी प्लॉट नम्बर 189, प्रताप नगर, कुऐ के पास, लोहाखान अजमेर (राज०)
2. खेमेन्द्र सिंह पुत्र श्री कर्णसिंह उम्र बालिग जाति राजपूत निवासी ग्राम भुवाडा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर (राज०) हाल निवासी प्लॉट नम्बर 189, प्रताप नगर, कुऐ के पास, लोहाखान अजमेर (राज०)
3. श्रीमति ज्ञान कवर पत्नि श्री कर्णसिंह उम्र बालिग जाति राजपूत हाल निवासी प्लॉट नम्बर 189, प्रताप नगर, कुऐ के पास, लोहाखान अजमेर (राज०)
4. जसवन्त सिंह पुत्र श्री रूपसिंह उम्र बालिग जाति राजपूत निवास ग्राम भुवाडा किशनगढ़ जिला अजमेर राज०
5. बैंक ऑफ बडौदा शाखा सिलोरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज० जरिये शाखा प्रबन्धक

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् : 53, 188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 327/2018

निर्णय दिनांक : 10/12/2021


वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद के संबंध में प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.11.2019 की पालना में मौका कमीश्नर तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा ग्राम भुवाडा पटवार हल्का भुवाडा तहसील किशनगढ़ स्थित संयुक्त खातेदारी भूमि ख०नं० 414 रकबा 08-14-00 किस्म बंजर-2 भूमि का वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व अभिलेख में अंकित हिस्सेनुसार उभयपक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई, उनके द्वारा बंटवारा प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री हेतु सहमती व्यक्त की। अतः कमीश्नर रिपोर्ट के अनुसार बंटवारा किया जाता है। कमीश्नर रिपोर्ट के साथ पेश संलग्न राजस्व मानचित्र अन्तिम डिक्री का एक भाग होगा। अतः तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद अधीन भूमि का निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है:-



उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

नाम खातेदार	ख0न0	रकबा	किस्म	लगान	रंग
खेमन्द्र सिंह पुत्र कर्ण सिंह हि0 5/12 जाति राजपूत सा0 देह रहन BOB शाखा सिलोरा, सुरेन्द्र सिंह पुत्र कर्ण सिंह हि0 5/12 जाति राजपूत सा0 देह रहन BOB शाखा सिलोरा, ज्ञानकवर पत्नि कर्ण सिंह हि0 2/12 जाति राजपूत सा0 देह रहन BOB शाखा सिलोरा	414	0.7038	बंजर-2	1.76	हरा
2 सुप्यार पत्नि नारायण सिंह राजपूत सा0 देह रहन BOB शाखा सिलोरा	414/1	0.3519	बंजर-2	0.88	नींबू
3 जसवन्त सिंह पुत्र रूप सिंह राजपूत सा0 देह रहन BOB शाखा सिलोरा	414/2	0.3520	बंजर-2	0.88	लाल

असप्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10/12/2024 को जारी की गई।


(परसाराम)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ (अजमेर)

राजस्व वाद सं० 327/2018

1. श्रीमति सुप्यार कवर पत्नि स्व० श्री नारायण सिंह उम्र 62 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम भुवाडा, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर (राज०) हाल निवासी C/O श्रीमति प्रतिभा राठौड, मकान नम्बर बी - 69, श्री रामनगर, खिरवी फाटक रोड़ झोटवाडा, जयपुर (राज०)
वादी

बनाम

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री कर्णसिंह उम्र बालिग जाति राजपूत निवासी ग्राम भुवाडा, तहसील किशनगढ जिला अजमेर हाल निवासी प्लॉट नम्बर 189, प्रताप नगर, कुऐ के पास, लोहाखान अजमेर (राज०)
2. खेमेन्द्र सिंह पुत्र श्री कर्णसिंह उम्र बालिग जाति राजपूत निवासी ग्राम भुवाडा, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर (राज०) हाल निवासी प्लॉट नम्बर 189, प्रताप नगर, कुऐ के पास, लोहाखान अजमेर (राज०)
3. श्रीमति ज्ञान कवर पत्नि श्री कर्णसिंह उम्र बालिग जाति राजपूत हाल निवासी प्लॉट नम्बर 189, प्रताप नगर, कुऐ के पास, लोहाखान अजमेर (राज०)
4. जसवन्त सिंह पुत्र श्री रूपसिंह उम्र बालिग जाति राजपूत निवास ग्राम भुवाडा किशनगढ जिला अजमेर राज०
5. बैंक ऑफ बडौदा शाखा सिलोरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज० जरिये शाखा प्रबन्धक

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद के संबंध में प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.11.2019 की पालना में मौका कमीश्नर तहसीलदार किशनगढ द्वारा ग्राम भुवाडा पटवार हल्का भुवाडा तहसील किशनगढ स्थित संयुक्त खातेदारी भूमि ख०नं० 414 रकबा 08-14-00 किस्म बंजर-2 भूमि का वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व अभिलेख में अंकित हिस्सेनुसार उभयपक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई, उनके द्वारा बंटवारा प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री हेतु सहमती व्यक्त की। अतः कमीश्नर रिपोर्ट के अनुसार बंटवारा किया जाता है व कमीश्नर रिपोर्ट के साथ पेश संलग्न राजस्व मानचित्र अन्तिम डिक्री का एक भाग होगा। अतः तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद अधीन भूमि का निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो।


उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

	खण्ड	रकबा	किस्म	लगान	रंग
नाम खातेदार खेमन्द्र सिंह पुत्र कर्ण सिंह हि० ५/१२ जाति राजपूत सा० देह रहन BOB शाखा सिलोरा, सुरेन्द्र सिंह पुत्र कर्ण सिंह हि० ५/१२ जाति राजपूत सा० देह रहन BOB शाखा सिलोरा, झानकवर पत्नि कर्ण सिंह हि० २/१२ जाति राजपूत सा० देह रहन BOB शाखा सिलोरा	414	0.7038	बंजर-२	1.76	हरा
2 सुप्यार पत्नि नारायण सिंह राजपूत सा० देह रहन BOB शाखा सिलोरा	414/1	0.3519	बंजर-२	0.88	नींबू
3 जसवन्त सिंह पुत्र रूप सिंह राजपूत सा० देह रहन BOB शाखा सिलोरा	414/2	0.3520	बंजर-२	0.88	लाल

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 10/12/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।



(परसाराम)

आर.ए.एस.

जयसचंद अधिकारी
सुपरीवेड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)